



2026:AHC-LKO:40629

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1596 / 2026

इबरार अहमद

.... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : विश्व नाथ सिंह, अजेय सिंह, शिव कुमार यादव

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 412/2025, भारतीय न्याय संहिता धारा 61(2) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(3), थाना फखरपुर, जिला बहराइच के अंतर्गत जमानत पर रिहा होने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है; उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 05.02.2026 से जेल में है। यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है और सह-अभियुक्त मो. आज़ाद के इकबालिया बयान में उसकी भूमिका का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पता चला था। ज़ोर देकर कहा गया है कि मो. आज़ाद को इस न्यायालय ने पहले ही आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 2117/2026 में दिनांक 15.05.2026 के आदेश से ज़मानत पर रिहा कर दिया है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी ज़मानत का हकदार है। ज़मानत मिलने पर वह ज़मानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सह-अभियुक्त मो. आज़ाद के ज़मानत आदेश की छायाप्रति अभिलेख पर ले ली गई है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के ज़मानत के आवेदन का विरोध किया, लेकिन निष्पक्षता से यह माना कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-अभियुक्त मो. आज़ाद को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

6. आवेदक और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलों, सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि यह ज़मानत के लिए उपयुक्त मामला है। समानता के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक इब्रार अहमद को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 412/2025 में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसके लिए उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक एक शपथ-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से या अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के सामने उपस्थित रहेगा। बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा: (

अ) वाद की शुरुआत, (बी) आरोप निर्धारित करना; और (सी) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक का अनुपस्थित रहना जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन ज़मानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विचारण न्यायालय ज़मानत रद्द करने के मामले में उचित आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा ॥

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

9 जून, 2026

वीकेएस/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।